

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खालियर बेच रीवा, सिभाग रीवा म.प्र.



ps. 201

151
01.04.13

R-1608-1113

कोशल प्रसाद वाण्डेय तनय श्री महावीर प्रसाद उम्र 48 वर्ष
पेशा-कृषि, नि.ग्राम सोनारन टोला तिरमौर, तह. तिरमौर, जिला-
रीवा म.प्र. --- आवेदक

अधिवक्ता श्री सुरेश श्रीवास्तव
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा दिनांक 1-04-13

बनाम

बलक भाष बोट
राजस्व मण्डल, म.प्र.
खालियर

1. दादू भाई वाण्डेय तनय श्री सत्यनारायण वाण्डेय उम्र 40 साल
पेशा-कृषि, नि.सोनारन टोला तिरमौर, तह. तिरमौर, जिला-
रीवा म.प्र.
2. सत्यनारायण वाण्डेय तनय स्व. श्री महावीर प्रसाद उम्र 60 साल
पेशा-कृषि, नि.सोनारन टोला, तिरमौर, तह. तिरमौर, जिला-
रीवा म.प्र.
3. राधा देवी पत्नी महावीर उम्र 80 वर्ष, पेशा-घरकार्य, नि.
सोनारन टोला, तिरमौर, तह. तिरमौर, जिला-रीवा म.प्र.
4. सुरजकली सुत्री महावीर उम्र 45 वर्ष, पेशा-घरकार्य, नि.ग्राम
वकतन तह. बाबूपुर, पो.आ. गरिहा जिला-सतना म.प्र.

--- अनावेदक गण

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश न्यायालय
श्रीमान अ. अधि. तह. तिरमौर, जिला-रीवा
म.प्र. के राजस्व प्र.क्र. 5/12-6 अवी. /2011
-12 आदेश दि. 13.3.13

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.

भू-रा. सं. कोशल प्रसाद

Handwritten signature

Handwritten signature

24-4-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

123

प्रकरण क्रमांक R1608-III /13

जिला-रीवा

कौशल प्रसाद पाण्डेय/ दादू भाई पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
05.08.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राज कुमार शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 6/ए-6/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेश घन चौधरी) सदस्य</p>	